

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	SAAJAN RAM - GSSS. MAINAWALI HANUMANGARH	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/डी पीसी/अर्थशास्त्र, भूगोल व अन्य विषय/2020-21/(भूगोल)1-412 दिनांक 02.02.2021	डीपीसी आदेश दिनांक 02.02.2021 में क्रम संख्या 349 पर कॉलम संख्या 8 में अंकित GSSS TISAYA (216830) के स्थान पर GSSS MAINAWALI (212291) पढ़ा जावें।
2	SAVITA BAI - SMT. SHANTI DEVI KHANDELWAL GGSS GOTHDA, ALWAR	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/डी पीसी/अर्थशास्त्र, भूगोल व अन्य विषय/2020-21/(भूगोल)1-412 दिनांक 02.02.2021	डीपीसी आदेश दिनांक 02.02.2021 में क्रम संख्या 66 पर कॉलम संख्या 4 में अंकित SAVITA BAI के स्थान पर SAVITA BAI पढ़ा जावें।
3	SHAHIDA PARVEEN (URDU LECT.) - GGSSS SALUMBER UDAIPUR	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/ सेवानिवृत्ति/2020-21/77 दिनांक 08.02.2021	सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 08.02.2021 में क्रम संख्या 58 पर कॉलम संख्या 3 में अंकित SHAYADAA PARVEEN के स्थान पर SHAHIDA PARVEEN पढ़ा जावें।
4	KAMLESH CHANDRA SHARMA (GEOGRAPHY LECT.) - GSSS DANTIYA KATHUMAR ALWAR	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/ सेवानिवृत्ति/2020-21/77 दिनांक 08.02.2021	सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 08.02.2021 में क्रम संख्या 21 पर कॉलम संख्या 3 में अंकित KAMLESH CHANDAR SHRAMA के स्थान पर KAMLESH CHANDRA SHARMA पढ़ा जावें।
5	FAROOK MOHAMMED DAYER (GEOGRAPHY LECT.) - GSSS SHAHPURA, BHILWARA	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ एसीपी/2020-21/236 दिनांक 01. 03.2021	एसीपी आदेश दिनांक 01.03.2021 में क्रम संख्या 11 पर कॉलम संख्या 7 में अंकित 30 YEAR के स्थान पर 20 YEAR पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 17/03/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18/615

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)